भारत सरकार का उपक्रम
A GOVT. OF INDIA ENTERI'RISC

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
HINDUSTAN COPPER LIMITED
www.hlndustancopper.com
CIN : L27201WB1967GOI028825

No. HCLISCY/SE/ 2016 23.4.2020

सं.- HCLI SCY*ISEI 2016* 15-06-2021

वरिष्ठ महाप्रबंधक,
कॉरपोरेट सेवा विभाग,
बी.एस.ई.लिमिटेड,
फिरोज जीजीभ्वाय टॉवर,
दलाल स्ट्रीट,
मुम्बई- 400 001
BSE Scrip Code 513599

उपाध्यक्ष,
लिस्टिंग विभाग,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.,
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक-जी,
बांद्रा- कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट),
मुम्बई- 400 051
NSE Symbol : HINDCOPPER

महोदय/महोदया,

सेबी के परिपत्र सं.-CIR/CFD/CMD 1/27/2019 दिनांक 08-02-2019 के अनुसरण में, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स बजाज टोडी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों द्वारा जारी सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट सूचना और रिकार्ड के लिए संलग्न है।

धन्यवाद ।

भवदीय,
ह0/-
(सी.एस.सिंघी)
कार्यकारी निदेशक(कंपनी सचिव)

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त ।

Practising Company Secretaries
225D A. J. C. Bose Road
Kolkata -700020, West Bengal, India
Tel: +91 33 22809045 Email ps@baiaitodi.in

सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यक्ताएँ) नियम 2015 सेबी के परिपत्र सं.- CIR/CFD/CMD1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी 2019 के साथ पठित)

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

मैं, प्रीति टोडी, बजाज टोडी एण्ड एसोशिएट्स का पार्टनर, प्रैक्टेसिंग कंपनी सचिव ने निम्न का परीक्षण किया है:-

(ए) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ("सूचीबद्ध इकाई") द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण

(बी) सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में की गई फाइलिंग/प्रस्तुतियां

(सी) सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट,

(डी) निम्न प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में 31 मार्च 2021 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त वर्ष के लिए अन्य दस्तावेज/फाइलिंग, जो प्रासंगिक हो सकते हैं, जिन पर इस प्रमाणीकरण को बनाने के लिए भरोसा किया गया है:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') और उसके तहत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA'), इसके तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अधीन जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों, जिनमें निम्न शामिल हैं, की जांच की गई है : -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम-2015;
(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम-2018;
(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम-2011;
(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम-2018;
(ड़) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभें) विनियम-2014;
(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डेब्ट प्रतिभूतियों के निर्गम और सूचीकरण) विनियम-2008;
(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयरों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम-2013;
(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियम-2015;
(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और पार्टिशिपेन्ट) विनियम-2018;

और इसके अधीन जारी परिपत्र/दिशानिर्देश

और उपर्युक्त मेरी जॉच के आधार पर, मैं, एतद्द्वारा समीक्षा अवधि के दौरान प्रतिवेदन करती हूँ कि :

(क) सूचीबद्ध इकाई ने निम्न निर्दिष्ट मामलों के सिवाय, उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है;-

Practising Company Secretaries
225D A. J. C. Bose Road
Kolkata -700020, West Bengal, India
Tel: +91 33 22809045 Email ps@baiaitodi.in

क्रम सं.	अनुपालन आवश्यकता (विनियमों/ परिपत्रों/दिशानिर्देशों सहित विशिष्ट क्लाउज)	विषयांतरकरण	प्रैक्टिशिंग कंपनी सचिव की राय/टिप्पणी
1	सेबी(LODR) का विनियमन. 17(1) (a) जिसके अनुसार निदेशक मंडल में कम-से-कम एक महिला निदेशक होना अनिवार्य है।	निदेशक मंडल की संरचना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनियमों का अनुपालन नहीं करती है; बोर्ड में 16-11-2019 से महिला निदेशक नहीं है।	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बोर्ड में किसी निदेशक की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा स्वयं की जाती है और न तो बोर्ड और न ही कंपनी की नियुक्ति प्रक्रिया में कोई कोई भूमिका होती है। बोर्ड में महिला निदेशक दिनांक 16-11-2019 से नहीं थी।
2	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता के संबंध में सेबी (एलओडीआर) नियम 19(2) के विनियम 38 और प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19ए ।	31 मार्च, 2021 को कंपनी के पास उल्लिखित विनियम के तहत आवश्यक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नहीं थी।	कंपनी एक पीएसयू उपक्रम होने के नाते, प्रमुख शेयरधारिता भारत सरकार की है और होल्डिंग को कमजोर करने का निर्णय सरकार की ही है।

ख) सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के तहत उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जैसा कि उन अभिलेखों की मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) सूचीबद्ध इकाई/उसके प्रमोटरों/निदेशकों/सामग्री सहायक कंपनियों के खिलाफ सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों/विनियमों और परिपत्रों/दिशानिदेर्शों के अधीन (सेबी द्वारा विभिन्न परिपत्र द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है:

:

क्रम सं.	द्वारा की गई कार्रवाई	उल्लंघन का विवरण	की गई कार्रवाई का विवरण यथा- जुर्माना, चेतावनी पत्र, रोक इत्यादि	प्रैक्टिशिंग कंपनी सचिव की राय/ टिप्पणी, यदि कोई हो
1	बीएसई / एनएसई	उपर्युक्त वर्णित विनियमों के अधीन आवश्यक कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना	बीएसई और एनएसई ने बार-बार कई नोटिस जारी किए हैं और उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है।	कंपनी ने प्रस्तुत किया है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते और न तो बोर्ड और न ही कंपनी को भारत सरकार के पास निहित शक्ति रहने के कारण किसी भी निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार है, इसे देखते हुए एनएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गैर-अनुपालन कंपनी द्वारा किसी लापरवाही/चूक के कारण नहीं है।

BAJAJ TODI & ASSOCIATES

Practising Company Secretaries
225D A. J. C. Bose Road
Kolkata -700020, West Bengal, India
Tel: +91 33 22809045 Email ps@baiaitodi.in

घ) सूचीबद्ध इकाई ने पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की है:

क्रम सं.	प्रैक्टिशिंग कंपनी सचिव की पिछली रिपोर्ट में की गई टिप्पणी	को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट में की गई टिप्पणी	सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो	सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाइयों पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां
शून्य				

कृते बजाज टोडी एण्ड एसोशिएट्स
(पूर्ववर्ती पी.एस. एसोशिएट्स)

ह0/-
(प्रीति टोडी)
पार्टनर
C.P.No.: 7270, ACS: 14611

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 01/06/2021

UDIN नं. : A01461 1C000408675